विवेचना सामान्य/विशिष्ट

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,

मुरादाबाद

विवेचना में साक्ष्य एकत्रित करने के स्रोत

मौखिक साक्ष्य

- वादी का कथन
- गवाहों का कथन
- अभियुक्त का कथन
- अपराधी का पूर्व व बाद का आचरण
- डॉक्टर का कथन
- अभियुक्त को वायदामाफ गवाह बनाकर

लिखित साक्ष्य

- अपराध से सम्बन्धित अभिलेख
- डॉक्टरी परीक्षण/पोस्ट मार्टम रिपोर्ट
- विशेषज्ञों का अभिमत
- कार्यवाही शिनाख्त रिपोर्ट
- अपराध सम्बन्धी फर्द बरामदगी

भौतिक साक्ष्य

- फिंगर प्रिन्ट/फुट प्रिन्ट
- रक्त व रक्त लगी वस्तु
- खोखा व कारतूस
- शस्त्र का कोई भाग
- कपड़े का टुकड़ा
- बाल रेशा, तन्तु

- काँच के टुकड़े
- सिगरेट के टुकड़े
- लाठी, डण्डा, रॉड आदि
- वीर्य/लार
- शरीर के अंग
- शरीर के द्रव्य

घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्य का महत्व

- घटना की जानकारी, घटित हुई या नहीं
- संदिग्ध पीड़ित और घटना स्थल के बीच सम्पर्क का निर्धारण
- अपराधियों की पहचान स्थापित करना
- अधिक से अधिक साक्ष्य की प्राप्ति
- घटना स्थल/विवेचना का महत्वपूर्ण अंग है
- पीड़ित के कथन से सत्यता का निर्धारण

- अभियुक्त द्वारा साक्ष्य को देखकर अपराध स्वीकार करना
- वास्तविकता पर आधारित है
- न्यायायालय में पेश करने पर मान्य है
- साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होगा
- घटना स्थल को स्पष्ट करना
- घटना के प्रकार को स्पष्ट करना

भौतिक साक्ष्यों को प्रदूषण से बचाना

- पैक करने वाले डिब्बे साफ हों
- हाथों में दस्ताने पहनकर उठाना
- एक डिब्बे में एक ही प्रकार का पदार्थ सील करना
- खतरनाक रसायन पर स्पष्ट अंकित करें
- प्रयोगशाला ले जाने वाले आरक्षी को सतर्क करें
- प्रदर्शों को सुरक्षित रखना

भौतिक साक्ष्यों को उठाने में सावधानियाँ

- कम से कम छूना
- उठाने से पूर्व पूर्ण जानकारी प्राप्त करना
- सावधानीपूर्वक हैण्डिल करना
- हाथों में दस्ताने पहनना
- काँच के टुकड़े को किनारे से पकड़ना
- बाल व रेशों को चिमटी से उठाना
- धूल को वैक्यूम क्लीनर से उठाना

भौतिक साक्ष्यों को उठाने में सावधानियाँ

- कागज व जले टुकड़ों को चिमटी से उठाना
- तरल पदार्थ चम्मच या ड्रापर से उठाना
- शस्त्र उठाने में सावधानी रखें जिन्दा कारतूस हो सकता है
- साफ सुथरे डिब्बे में पैक करें
- लकड़ी के बक्से में पैक करने पर लोहे की कील न लगायें
- दस्तावेजों को गत्ते के बीच में रखें
- सावधानी से सील करना

वस्तुओं को पैक करने में सावधानी

- ले जाते समय टूट फूट न हो
- दो वस्तुऐं आपस में न टकरायें
- लाने व ले जाने में लीक न करें
- पैकिंग का डिब्बा जीवाणु रहित हो
- डिब्बे में किसी प्रकार की गन्ध न हो
- डिब्बे का ढक्कन ढीला न हो
- काँच का सामान बोतल आदि ले जाने में सावधानी बरतें

- कोई भी वस्तु लूज व ढीली न पैक करें
- पैकिंग खोलते समय सावधानी बरतें
- खून, वीर्य लगे कपड़े ठंड में सुखाकर पैक करें
- काँच के जार को लकड़ी की पेटी में रखें
- दस्तावेजों को गत्ते में रखें
- भारी व बड़ी वस्तुओं पर लगे रक्त आदि को साफ चाकू से काटकर के कागज में रखें

साक्षियों से पूछताछ के विधिक प्रावधान

- धारा-162 द0प्र0सं0 के अनुसार बयान पर हस्ताक्षर न कराना
- पूछताछ में गलत सूचना देना धारा-182, 202, 203 भा0द0वि0 का दोषी होगा
- धारा-160 द0प्र0सं0 के अनुसार 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष व महिला को बयान हेतु थाने नहीं बुलाया जायेगा, कथन निवास स्थान पर

- साक्षी बुलाने पर नहीं आता है तो 174 भा0द0वि0 का अपराधी है
- विवेचक घटना से परिचित व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है
- धारा-161 द0प्र0सं0 के अनुसार ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित पूछे गये सभी कथनों के उत्तर देने के लिए साक्षी बाध्य है, अलावा उन प्रश्नों के जो उस अपराधिक आरोप या दण्ड के भागी बनाते हैं

साक्षियों के प्रकार

- चक्षुदर्शी साक्षी
- परिस्थितिजन्य साक्षी
- अपराध के उद्देश्य के साक्षी
- अपराध के पूर्व व अपराध के बाद अपराध के आचरण के साक्षी
- F.I.R. लेखक
- डॉक्टरी परीक्षण (चिकित्सक)
- गिरफ्तारी/बरामदगी के साक्षी

साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने के सम्बन्ध में आवश्यक बिन्दु

- अलग-अलग कथन लेखबद्ध करना
- विस्तार व प्रत्येक पहलू पर लिखा जाये
- घर,थाने या घटना स्थल पर लिखे जा सकते हैं
- पूरक कथन अंकित किया जा सकता है
- कथन लिखने के बाद साक्षी को बताना कि कथन लिख लिया गया है

साक्षियों के कथन का महत्व

- विवेचना परिणाम आरोपपत्र/अन्तिम रिपोर्ट
- धारा-164 द0प्र0सं0 के कथन लिखाये गये कथनों के आधार पर अंकित किये जाते हैं
- बयान के खण्डन के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा-161 व 145 के अनुसार प्रयोग

साक्षियों से पूछताछ में बरती जाने वाली सावधानियाँ

- अलग-अलग पूछताछ करना
- संकोच करने पर प्रोत्साहित करना
- डरने वाले साक्षी को समझाना
- सच्चा साक्षी तलाश करना
- साक्षी के साथ अपमान जनक व्यवहार न करना